16/8/24 को पेश हो

SDO

16/8/24

पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष वकील उपस्थित। उभय पक्ष वकील की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ख० न० 3013/3359 की आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है। मौके पर उक्त आराजी का बंटवारा हो रखा है जिसका नजरी नक्शा दावा के साथ पेश है। अप्रार्थीगण रास्ते के लिए छोड़ी गयी भूमि को जोतना चाहते है। प्रार्थीगण के पक्ष में सिर्फ मौके की अस्थायी निषेधाज्ञा कर दी जावे। अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब एवं बहस में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व में बंटवारा हो चुका है तथा मौके पर रास्ता विद्यमान है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की आराजी है। वादीगण को सभी खसरा नम्बरों की भूमि को दावे में शामिल करना चाहिए था। प्रार्थीगण दावा साफ हाथों से लेकर नहीं आये है। रेकर्ड में कोई बंटवारा पेश नहीं हो रखा है। वादीगण के पास तो नजरी नक्शा अनुसार रास्ता है। दावा प्रतिवादी संख्या 5 से 10 को लाना चाहिए था। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र धारा 212 भारी हर्जाने के खारिज फरमाया जावे।

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभय वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कियां। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी ख.न. 3013/3359 रकबा 0.63 हैक्टर वाके ग्राम तसई बी की भूमि पर रुकावट व मजाहमत पैदा ना करे तथा मुताबिक बटवारा बंटवारा तर्क पश्चिम को छोड़े गये शामलाती रास्ते 12 फुट चौड़े के उपयोग-उपभोग मे किसी प्रकार की रुकावट व मजाहमत पैदा ना करे तथा रास्ते को जोते व बोवे नही। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। विस्तृत निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास मे सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	